::कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ०ग०)::

//आदेश//

क्रमांक 81 /II–12–10/2014 कोण्डागांव, दिनांक - 18 .07.2024

सिविल जिला स्थापना के चयन समिति, जिला न्यायालय कोण्डागांव छ०ग० द्वारा आदेशिका वाहक के पद हेतु प्राप्त चयन सूची के अनुसार नीचे उल्लेखित चयनित अभ्यर्थियों को आदेशिका वाहक के पद पर छ०ग० वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के लेवल–3 वेतनमान 18000– 56900/– में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थायी रूप से निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:–

क्र०	नियुक्त कर्मचारी **का नाम** /पिता का नाम	निवास स्थान का पता	संवर्ग
01	श्री खिलेन्द्र कुमार, पिता श्री मेघराज	निवासी ग्राम–खैरतराई, पो. बघमरा, तहसील+ जिला–बालोद (छ०ग०), पिन– 491226	अ.पि.वर्ग
02	श्री राधेश्याम, पिता श्री उपरोहित	निवासी ग्राम– गहिरा, नवागाँव, पो. खेरथाबाजार, तहसील– डौण्डी लोहारा, जिला–बालोद (छ०ग०) पिन–491771	अ.ज.जा.
03	कु० आशा, पिता स्व.परदेशी राम गोंड़	निवासी– BK6/GF44, अटल आवास पंचवटी कॉलोनी, रत्नाबांधा धमतरी, जिला–धमतरी (छ०ग०)	अ.ज.जा.
04	श्री चन्द्रदत्त गंगराले पिता श्री रामसुमन गंगराले	निवासी– सड़क नं. 01 पॉकेट, ब्लॉक–7/C, मरोदा सेक्टर भिलाई नगर, जिला–दुर्ग (छ०ग०) पिन – 490006	अ.ज.जा.
05	श्री नवीन कुमार सुकतेल पिता श्री गिरीश कुमार सुकतेल	निवासी– मुकुन्द भवन बैद्यनाथपारा, दुर्ग, वार्ड नं. –39 जिला–दुर्ग (छ०ग०) पिन –491001	अ.पि.वर्ग

नियुक्ति की शर्तें :-

01. नियुक्त कर्मचारी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे।

02. नियुक्त कर्मचारी को दिनांक 01.08.2024 तक अपना कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह नियुक्त आदेश आपके संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

03. नियुक्त कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वे उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्त स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

04. नियुक्त कर्मचारी पूर्णतः अस्थायी तौर पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के पश्चात यदि स्थायी पद उपलब्ध होता है तो स्थायी किया जावेगा। अन्यथा आपकी सेवाएं अस्थायी तौर पर निरन्तर आगामी आदेश तक जारी रहेगा। परीवीक्षा में आपकी सेवाएं किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

05. कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता प्रमाण पत्र के साथ आरक्षित वर्ग के कर्मचारी सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की प्रति पेश करेंगे तथा अवलोकनार्थ मूलप्रति एवं 02 सेवा पुस्तिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

06. यदि पुलिस द्वारा चारित्रिक सत्यापन में किसी अपराध में संलिप्त रहना पाया जाता है तो यह नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त माना जावेगा।

07. नियुक्त कर्मचारी को सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी। आगे नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक होगा, अन्यत्र नौकरी हेतु भी नियुक्त प्राधिकारी से अनुमति आवश्यक होगा।

08. नियुक्त कर्मचारी यदि शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो कार्यालय प्रमुख को एक माह पूर्व सूचना देना होगा अथवा एक माह का वेतन तथा उस पर देय सभी भत्ते जमा करना होगा।

09. नियुक्त कर्मचारी का कार्य व्यवहार एवं आचरण के बारे में संबंधित पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से शिकायत प्राप्त होने की दशा में आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

10. नियुक्त कर्मचारी की पदस्थापना सिविल जिला न्यायालय कोण्डगांव के अंतर्गत किसी भी न्यायालय/अनुभाग में की जा सकती है।

18.07.2024

(उत्तरा कुमार कश्यप)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)

O/C

पृ.क्रमांक 1493 / II–12–10/2014

कोण्डागांव, दिनांक –18.07.2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, बस्तर संभाग, जगलदपुर।
03. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोण्डागांव।
04. पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय कोण्डागांव।
06. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव।
07. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु० ------------------ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18.07.2024

(उत्तरा कुमार कश्यप)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छ०ग०)